

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042022-235270 CG-DL-E-21042022-235270

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293] No. 293] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 2022/वैशाख 1, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 2022/VAISAKHA 1, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 307(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 की उपधारा (1) के सातवें परंतुक के खंड (iv) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 2022 है।
 - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 12कक के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- **"12कख. धारा 139 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए शर्तें** -धारा 139 की उपधारा (1) के सातवें परंतुक के खंड (iv) के अनुसार धारा 139 की उपधारा (i) के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित शर्तें होंगी, अर्थात् :-
- (i) पूर्व वर्ष के दौरान यदि उसके कारबार का यथास्थिति, कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां साठ लाख रुपए से अधिक है; या

2810 GI/2022 (1)

- (ii) पूर्व वर्ष के दौरान यदि उसकी वृत्तिक सकल प्राप्तियां दस लाख रुपए से अधिक हैं; या
- (iii) पूर्व वर्ष के दौरान किसी व्यष्टि के मामले में यदि स्रोत पर कुल आय-कर कटौती और स्रोत पर संगृहीत आय-कर पच्चीस लाख रुपए या अधिक है: या
- (iv) पूर्व वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति के एक या अधिक बचत खातों में कुल निक्षेप पचास लाख रुपए या अधिक है :

परंतु भारत में किसी व्यष्टि निवासी के मामले में, जिसकी आयु साठ वर्ष या अधिक की है, किसी सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय खंड (iii) के उपबंध का वैसे ही प्रभाव होगा मानो "पच्चीस हजार" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार" शब्द रख दिये गए हों।

[अधिसूचना स. 37/2022/ फा.सं. 370142/01/2020-टीपीएल (भाग-1)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 275(अ), तारीख 06 अप्रैल, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2022

- **G.S.R. 307(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of the seventh proviso to subsection (1) of section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Income-tax (Ninth Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 12AA, the following rule shall be inserted, namely:-
- '12AB. Conditions for furnishing return of income by persons referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 139.— The conditions for furnishing return of income in respect of persons referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 139 in terms of clause (iv) of the seventh proviso to sub-section (1) of section 139 shall be the following, namely: -
 - (i) if his total sales, turnover or gross receipts, as the case may be, in the business exceeds sixty lakh rupees during the previous year; or
 - (ii) if his total gross receipts in profession exceeds ten lakh rupees during the previous year; or
 - (iii) if the aggregate of tax deducted at source and tax collected at source during the previous year, in the case of the person, is twenty-five thousand rupees or more; or
 - (iv) the deposit in one or more savings bank account of the person, in aggregate, is rupees fifty lakh or more during the previous year:

Provided that in the case of an individual resident in India who is of the age of sixty years or more, at any time during the relevant previous year, the provision of clause (iii) shall have effect as if for the words "twenty-five thousand", the words "fifty thousand" had been substituted.'.

[Notification No. 37/2022/F.No. 370142/01/2020-TPL(Part1)]

SHEFALI SINGH, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section-3, Sub Section (ii) *vide* number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification No. G.S.R. 275(E), dated the 06th April, 2022.